सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 1/2015

बउनवान

बृजमोहन पुत्र पन्नालाल आयु 67 वर्ष जाति लुहार निवासी किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1— ग्यारसीलाल पुत्र घासीलाल आयु 75 वर्ष जाति लुहार हाल मुक्तिधाम लंका कॉलोनी, बारां जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970
वास्ते निरस्त किए जाने भू आवंटन दिनांक 08.12.1975 भू आवंटन समिति केम्प कटावर

उपस्थिति :— 1— श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2— श्री संजय नागर अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**
3— पेरोकार सरकार **(अप्रार्थी कम 2)**

निर्णय दिनांक 31.03.2017

प्रार्थी द्वारा भू—आवंटन आदेश दिनांक 08.12.1975 से अप्रसन्न होकर विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भू—आवंटन अधिनियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम किशनपुरा की आराजी खसरा संख्या 162 रकबा 1.00 बीघा का आवंटन दिनांक 08.12.1975 को अप्रार्थी कम 1 को किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 251 रकबा 0.16 है. जो खसरा नंबर 1281 से कायम किये गये हैं। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन गलत रूप से किया गया है क्योंकि आवंटन से पूर्व से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त था उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त होने से उस दिन आवंटन के लिये ना भूमि उपलब्ध थी फिर भी उक्त आराजी का आवंटन नियम 20 की अवहेलना कर किया गया जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी कम 1 को आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व से आज तक प्रार्थी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना नही की गई है। आवंटन समिति ने उक्त आराजी के आवंटन बाबत विधिवत कोई अधिसूचना चस्पा नहीं की, अप्रार्थी कृषक भी नहीं है। 30 वर्षों से अप्रार्थी लंका कॉलोनी बारां में स्थायी रूप से रह रहा है। अप्रार्थी आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी अप्रार्थी को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी कम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन के

अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व से आज तक प्रार्थी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना नही की गई है। आवंटन समिति ने उक्त आराजी के आवंटन बाबत विधिवत कोई अधिसूचना चस्पा नहीं की, अप्रार्थी कृषक भी नहीं है। 30 वर्षों से अप्रार्थी लंका कॉलोनी बारां में स्थायी रूप से रह रहा है। अप्रार्थी आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी अप्रार्थी को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम किशनपुरा की आराजी ख. सं. 162 रकबा 1.00 बीघा अप्रार्थी को दिनांक 08.12.1975 को आवंटित हुई। आवंटन उपरांत आवंटी को आवंटित आराजी पर दखल दिया। वर्तमान में भी उक्त आराजी प्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने 39 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया है जो भूमि उसके गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई 39 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना उचित समझते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र 14 (4) मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां